न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 03/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

दिनेश्वर मांझी ---------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

रामजी मुर्मु ------------------------ द्वितीय पक्ष

आदेश

07-03-25

अंचल अधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले वादग्रस्त भूमि पर भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 09.01.2025 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया एवं उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई भी कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
		27	34 डी0	उ0- ताड़ झाड़ी, द0- गोपाल मांझी, पू0- निज, प0- रास्ता
लोवाबारा, अंचल- सरिया जिला- गिरिडीह	17	29	24 डी0	उ0- दादो मांझी, द0- गोपाल मांझी, पू0- गोपाल मांझी, प0- निज
		78	3.46 ए0 मध्ये 1.73 ए0	उ0- जंगल झाड़ी, द0- रास्ता, पू0- देव हजाम, प0- निज

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा भी की गई।

उक्त वाद में प्रथम पक्ष उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा तथा द्वितीय पक्ष किसी भी तिथि में उपस्थित नहीं हुए। वाद संचालन हेतु अनुमान्य सम्पूर्ण अवधि में द्वितीय पक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुए और ना ही किसी

माध्यम से अपना पक्ष रखा। अतः इस मामले में कोई विवेचन करना संभव नहीं हो पाया ना ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचना संभव हो पाया।

मामला भू-विवाद का है तथा प्रथम पक्ष ने वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिणत करने का आवेदन भी दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्त्तमान में भी उभय पक्षों के मध्य तनाव बरकरार है अतः वाद के अग्रेत्तर विवेचन हेतु इस वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत परिवर्त्तित किया जाता है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

अगली सुनवाई 29-4-25 को निर्धारित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

07/3/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

07/3/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.12 13:04:27 +05:30
Location: 192.168.1.4